

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर  
:: आदेश ::

रायपुर, दिनांक 03.01.2015

क्रमांक एफ 4-1/31/स्था./2015 :: राज्य शासन एतद्वारा श्री आलोक अग्रवाल, सहायक अभियंता, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर, श्री जी. आर. देवांगन, उपअभियंता, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, बिलासपुर, श्री अबरार बेग, उपअभियंता, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, बिलासपुर, एवं श्री विजय कुमार सिंह ठाकुर, उपअभियंता, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग, बिलासपुर, के विरुद्ध अपराध क्रमांक 56/2014 धारा 13(1)ई 13(2) पीसीएक्ट 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये जाने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 (1)(ख) के अंतर्गत निलंबित करता है। निलंबन अवधि में श्री अलोक अग्रवाल, सहायक अभियंता का मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग रायपुर तथा श्री जी. आर. देवांगन, उपअभियंता, श्री अबरार बेग, उपअभियंता, एवं श्री विजय कुमार सिंह ठाकुर, उपअभियंता का मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग रायपुर निर्धारित करता है।

2/ इन्हें निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

*sd/-*  
(आर. के. नारद)  
अवर सचिव

छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग

रायपुर, दिनांक 03.01.2015

क्रमांक एफ 04-01/31/स्था./2015

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, शासन, जल संसाधन विभाग, रायपुर
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर
5. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, रायपुर/महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग रायपुर /हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग बिलासपुर
6. पुलिस अधीक्षक, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर।
7. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल, बिलासपुर
8. कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर
9. श्री राजेश धवनकर, कार्यपालन अभियंता कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर, कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर के अतिरिक्त प्रभार में आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से रहेंगे।
10. संबंधित अधिकारी श्री आलोक अग्रवाल, सहायक अभियंता, श्री जी. आर. देवांगन, उपअभियंता, श्री अबरार बेग, उपअभियंता एवं श्री विजय कुमार सिंह ठाकुर, उपअभियंता,

द्वारा:- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर

11 आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*Ravada*  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग